भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3632
दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में शव वाहनों की उपलब्धता

3632. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चन्द्रपुर जिले सहित महाराष्ट्र में शवों को ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा चन्द्रपुर जिले सहित महाराष्ट्र राज्य में शव वाहन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार और तहसील-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) महाराष्ट्र के सभी जिलों में शव वाहन कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में शव वाहन उपलब्ध नहीं थे। तथापि, जन स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने चन्द्रपुर जिले के लिए 5 वाहनों सहित 132 शव वाहन खरीदे हैं।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत देश में एनएचएम के तहत 3058 एडवांस्ड लाइफ स्पोर्ट (एएलएस), 15475 बेसिक लाइफ स्पोर्ट (बीएलएस), 3864 रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी), 19 बोट एम्बुलेंस और 81 बाइक आपातकालीन अनुक्रिया वाहनों सहित महाराष्ट्र में 233 एएलएस, 704 बीएलएस, 3274 पीटीवी, 3 बोट एम्बुलेंस और 30 बाइक आपातकालीन अनुक्रिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है।

*****